न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 42/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजुवाला जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

श्रीनिवास पुत्र रामकिशन जाति शर्मा साकिन नागड़ी तहसील नागौर (फोत) कायम मुकाम

1/1 श्रीमती नैना देवी पत्नी स्व.श्रीनिवास शर्मा
1/2 हनुमान प्रसाद
1/3 दीपाराम
1/4 धर्माराम
1/5 महेन्द्र कुमार
1/6 दुर्गा
1/7 संतोष
1/8 राजू देवी

पिसरान स्व. श्रीनिवास साकिन नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री प्रेमप्रकाश मदान अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.01.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजुवाला ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 बी. डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 40, 41 के मुरब्बा नम्बर 54/5 किला नम्बर 1 ता 8, 13 ता 25 की कुल 20 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/5 बने जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इगानप योजना छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 20.09.1980 के द्वारा श्रीनिवास पुत्र रामकिशन जाति शर्मा सा. नागडी को आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री प्रेमप्रकाश मदान अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4. स्टेट की ओर से विभागींय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 40, 41 के मुरब्बा नम्बर 54/5 किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 25 की कुल 20 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/5 बने। जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज थी। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 20.09.1980 के द्वारा अप्रार्थी के पति/पिता श्रीनिवास पुत्र रामकिशन शर्मा को आवंटित कर दी गई। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन जौहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मु.बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि वादग्रस्त जायदाद खसरा 40 व 41 के मुरब्बा नम्बर 54/5 जोहड़ मजकुर नहीं है तथा अप्रार्थीगण के पिता श्री रामकिशन के नाम से 54/5 के 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि सन् 1975 में आवंटन हुई थी तब से लेकर आज तक वादग्रस्त जायदाद पर अप्रार्थीगण मुरब्बा नं. 54/5 की 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके चक 25 बी डी. ए पर काबिज चले आ रहे है। सूची नं. 4 के अनुसार मुरब्बा नं. 55/5 व अन्य मुरब्बा बन गये का कथन गलत बयानी स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी श्रीनिवास छत्तरगढ़ निर्णय दिनांक 20.9.80 के तहत जायदाद 54/5 की 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो सामान्य आवंटन की गई है जो नियमों के तहत ही आवंटन की गई है और सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि, आवंटन की गई है और रिकार्ड में आराजीराज जायदाद रही है और राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से भूमि अप्रार्थी के पिता को आवंटन की गई है। अप्रार्थी के पिता जब तक जीवित थे तब तक इस भूमि पर काबिज रहे और उन्होनें विधि अनुसार रकबे की तमाम किस्ते जमा करवाई है और अप्रार्थीगण को सक्षम अधिकारी अर्थात प्रार्थी की हायर ऑथोरिटी द्वारा विधिवत रूप से रिपोर्ट पटवारी हल्का से लेकर तमाम ऑपचारिक्ताऐं खातेदारी जारी होने से पूर्व पूर्ण करके ही खातेदारी जारी की है। सक्षम अधिकारी द्वारा ही खातेदारी जारी की गई है जो नियम कायदों के तहत ही जारी की गई है। आवंटन किये जाने से पूर्व तमाम औपचारिकताऐं राज्य सरकार द्वारा तैय की जाती है और उसके बाद ही आवंटन किये जाते है। अप्रार्थीगण 40 साल से इस भूमि पर काबिज चले आ रहे है अब इस रेफरेंस के द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि छीनने का प्रयास किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

वादग्रस्त जायदाद अलग से जायदाद है जिस पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस पत्रावली पर लागू नहीं होता है। प्रार्थी को मालूम ही नहीं है कि जोहड़ पायतन की जमीन कहा पर है प्रार्थी प्रार्थना पत्र के रिलीफ पैरा में मुरब्बा नं. 55/5 की 20 बीघा भूमि अप्रार्थीगण की चक 25 बीडीए खारिज करने का निवेदन किया है जबकि अप्रार्थीगण को 55/5 भूमि आवंटन ही नहीं है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद पर बाल बच्चों सहित निवास कर रहे है और रोटी रोजी का साधन भी यही जमीन है अप्रार्थीगण के पास और कोई जमीन नहीं है। इस कारण भी अप्रार्थीगण को वादग्रस्त जायदाद से बेदखल किया जाता है तो निश्चित रूप से अप्रार्थीगण के साथ घोर नाईन्साफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। अप्रार्थीगण के नाम से पानी की बारी बांधी हुई है जमीन पर लोन भी राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। रेफरेंस मियाद बाहर होने के कारण एवं विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से रेफरेंस प्रार्थना पत्र भारी खर्चे से खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता ने इस सन्दर्भ में आरआरडी 2004 पेज 410, आर.एल.आर 1995(1) पेज 555 के न्यायिक उद्धरण पेश किये ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बंदोबस्त में खसरा नम्बर 40, 41 की कुल रकबा 141 बीघा भूमि जोहड़ मुफीदआम के नाम दर्ज है जो कि उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के अनुसार खसरा नम्बर 54/5 से अन्य रकबों के अलावा 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 40, 41 के मुरब्बा नम्बर 54/5 किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 25 में पैमूद हुई। जो कि आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1980 के अनुसार अप्रार्थी के पति/पिता के पक्ष में दर्ज हुई। जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71 में दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत भूमि जोहड़ मजकूर रिफायेआम दर्ज रिकार्ड है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में जोहड़ मजकूर रिफायेआम की होने के कारण अप्रार्थी के पति/पिता को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हूबहू चस्पा नहीं होती है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष चक चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 40, 41 के मुरब्बा नम्बर 54/5 किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 25 की कुल 20 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/5 जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.1980 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर